श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, चण्डी स्थान धार्मिक न्यास समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 01.10.2012 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री मिथिलेश साहू, प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, मुंगेर।
3. डॉ0 श्रीनाथ, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर।
4. श्री महेश कुमार दास, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर।
5. श्री वाई0 पी0 सिंह, आई0टी0सी0, मुंगेर।
6. श्री शिव कुमार रूंगटा– सचिव।
7. श्री निर्मल जालान – कोषाध्यक्ष।
8. श्री कुंदन कुमार, उप सचिव।
9. श्री भवेश प्रसाद सिंह।
10. पंडित अनिल महाराज, संयोजक।

प्रस्ताव सं0 01 :–

सर्वप्रथम पूर्व निर्धारित तिथियों, यथा– 21.08.10, 24.09.10, 20.06.11, 24.09.11, 05.05.12 एवं 26.05.12 को सम्पन्न चण्डिका स्थान धार्मिक न्यास समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गयी। चण्डिका स्थान धार्मिक न्यास समिति की अंतिम बैठक दिनांक 26.05.12 को निर्णय लिया गया था कि 01.06.2012 से 30.09.12 तक पूजा के मद में किसी भी भक्त से कोई राशि नहीं ली जाये तक उक्त अवधि में मंदिर का रख–रखाव समिति के पास उपलब्ध राशि से किया जाये। यद्यपि उक्त अवधि समाप्त हो चुकी है तथापि प्राप्त सूचनानुसार कुछ व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में अवैध राशि की वसूली की गयी है जो क्षम्य नहीं है। अतः प्राप्त सूचना के आलोक में विस्तृत जांच के लिए श्री महेश कुमार दास, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर/श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, प्रभारी व0उ0समा0, जिला सामान्य शाखा, मुंगेर/श्री शिव कुमार रूंगटा, सचिव एवं श्री कुंदन कुमार, उप सचिव के चार सदस्यीय जांच दल का गठन किया जाता है जो मंदिर में आने वाले भक्तजनों एवं समीपवर्ती व्यक्तियों से पूछताछ कर इस बात की जानकारी लेंगे कि क्या वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मंदिर परिसर में पूजा के नाम पर राशि की वसूली की गयी है।

पुनश्च दिनांक 01.10.12 से पूजा इत्यादि के नियम यथावत् रखे जाते हैं जो दिनांक 01.06.12 के पूर्व में थे।

प्रस्ताव सं0 02 :–

समीक्षा में पाया गया कि पूर्व में दिनांक 26.05.12 को सम्पन्न बैठक में भी पंडित अनिल महाराज को निदेश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अप्रैल 2012 तक के आय–व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया है और न ही रसीद से प्राप्त राशि जमा की गयी है। यह कृत्य उनके कर्त्तव्यों के निष्पादन में अनियमितता को प्रदर्शित करता है। साथ ही सचिव द्वारा बताया गया कि पंडित अनिल महाराज द्वारा 31 मई, 2012 तक के रसीद के मुताबिक प्राप्त राशि भी जमा नहीं की गयी है और न ही ब्यौरा ही दिया गया है तथा मात्र एक बार बीच में 50,000/– (पचास हजार) रू0 उपलब्ध कराये थे लेकिन फिर भी उक्त राशि का ब्यौरा नहीं दिया गया।

उक्त परिस्थिति के दृष्टिगत सचिव आज ही इस तथ्य का सुस्पष्ट प्रतिवेदन तैयार करें कि कितना राशि बकाया है तथा सभी राशि को 31 मई तक व्ययगत मानते हुए राशि की गणना कर 12% वार्षिक ब्याज की दर जोड़ते हुये पंडित अनिल महाराज के उपर न्यास बोर्ड को सूचित करें साथ ही उनके कार्यों में असफलता को देखते हुये निम्न तीन निर्णय लिये जाते हैं :-

1. राशि गबन को देखते हुये गणनोपरान्त उनके उपर प्राथमिकी दर्ज की जाये।
2. गणनोपरान्त बकाये राशि की वसूली के लिये अन्य कानूनी कदम उठाये जायें।
3. समिति द्वारा इन्हें हटाने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड को अनुशंसा पत्र भेजी जाये तथा समिति में अन्य रिक्तियों के फलस्वरूप अन्य संबंधित मांगों की अनुशंसा अध्यक्ष, चण्डिका स्थान धार्मिक न्यास समिति, मुंगेर के स्तर से की जाये।

प्रस्ताव सं0 03 :-

निर्णय लिया गया कि पूजा इत्यादि के लिए पुनः रसीद की छपायी की जाये एवं किसी नये व्यक्ति को रसीद के माध्यम से राशि की वसूली करने की जिम्मेदारी दी जाये जो लगातार 15 (पन्द्रह) दिनों तक मंदिर में रहकर रसीद काटेंगे। साथ ही निर्णय लिया गया कि समिति के सचिव श्री शिव कुमार रूंगटा एवं श्री कुंदन कुमार, उप सचिव तथा दो अन्य स्वयं सेवक की उपस्थिति में पालीवार रसीद काटने की कार्रवाई की जाये।

दुर्गापूजा, 2012 हेतु आवश्यक कार्यवाईयाँ :-

- दिनांक 15.10.12 को प्रारंभ होने वाली दुर्गापूजा के अंतिम दिन तक मंदिर परिसर में विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यकतानुसार पुलिस पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों, पेट्रोलिंग, सशस्त्र बलों, महिला सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति पुलिस अधीक्षक, मुगेर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर अपने अनुश्रवण में कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त सप्तमी पूजा अर्थात् दिनांक 22.10.12 से दुर्गापूजा समाप्ति तक भीड़ नियंत्रण हेतु स्काउट एंड गाईड की भी प्रतिनियुक्ति की जाये जिनके भोजनादि के लिए नाश्ते की व्यवस्था समिति के सचिव द्वारा की जाये।
- मंदिर परिसर की साफ-सफाई हेतु ब्लीचिंग पाउडर/फोगिंग की व्यवस्था सहित चार सफाईकर्मी की प्रतिनियुक्ति, पेयजल हेतु एक टैंकर पानी की व्यवस्था नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर सुनिश्चित करायेगें।
- मंदिर परिसर में बिक्री होने वाले प्रसाद की गुणवत्ता के औचक जांच हेतु खाद्य निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति सिविल सर्जन, मुंगेर करेंगे। साथ ही प्राथमिक चिकित्सा हेतु तीन पाली में स्वास्थ्य कर्मी (पुरूष एवं महिला) सभी दवाओं एवं उपकरणों के साथ प्रतिनियुक्त करेंगे।
- मंदिर जाने के रास्ते में यथाउपयुक्त स्थानों एवं मंदिर परिसर में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था आई0टी0सी0 के माध्यम से सुनिश्चित की जाये।
- दुर्गापूजा प्रारंभ होने के पूर्व कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, मुंगेर पेयजलापूर्ति की सारी व्यवस्थायें सुनिश्चित कर लेंगे।

- पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी वाहन जांच हेतु चेक पोस्ट नन्द कुमार उच्च विद्यालय के समीप ही बनाया जाये।
- निर्णय लिया गया कि मंदिर खुलने के समय में कोई परिवर्त्तन की आवश्यकता नहीं है अर्थात् प्रातः 4:00 बजे से 8:00 बजे, 8:30 बजे से अपराह्न 2:00 बजे, अप0 4:00 बजे से संध्या 7:00 बजे तथा रात्रि 8:30 बजे से 1:00 बजे रात्रि तक मंदिर खुलेगा जिसके प्रचार प्रसार हेतु बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया।
- मंदिर की रंगाई-पुताई, सी0सी0टी0वी0 कैमरे इत्यादि व्यवस्था सचिव द्वारा दुर्गापूजा के पूर्व अवश्य कर ली जाये एवं उक्त कार्य में होने वाले व्यय की गणना आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ताकि उसे निर्णयोपरान्त सम्पुष्ट किया जा सके।

अन्त में सधन्यवाद कार्यकारिणी समिति के बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

02/10/12

जिला पदाधिकारी
-सह-अध्यक्ष,
चण्डी स्थान धार्मिक न्यास समिति,
मुंगेर।

ज्ञापांक 797 /सा0, दिनांक 03/10/12

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/पुलिस उपाधीक्षक (मु0), मुंगेर/कार्य0 अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मुंगेर/थानाध्यक्ष, वासुदेवपुर/जिला सुचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला सूचना एवंज न सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/ प्रबंधक, आई0टी0सी0, मुंगेर एवं चण्डी स्थान धार्मिक न्यास समिति, मुंगेर के सभी सदस्यों/प्रमुख पंडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/10/12

जिला पदाधिकारी
-सह-अध्यक्ष,
चण्डी स्थान धार्मिक न्यास समिति,
मुंगेर।